[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 53/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "70 ली काउंट से कम वाले फ्लैक्स यार्न" (एतश्मिन पश्चात जिसे 'विषयगत वस्तु' से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष 5306 10 और 5306 20 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष में, जिसे अधिसूचना संख्या 6/3/2018-डीजीएडी, दिनांक 18 सितम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि;

(i) विषयगत वस्तु का विषयगत देश से सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर आयात किया गया है जिसके कारण इसकी भरमार हो गई है ।
(ii) विषयगत देश से प्रश्नगत उत्पाद की भरमार के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है ।
(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है ।

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तु जो कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित है और भारत में आयातित है, के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट अधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन शीर्ष/उप शीर्ष/टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है या वहां से निर्यातित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, जो कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों के द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित है पर

उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	उप शीर्ष या टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन और निर्यात करने वाला देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि/अमे. डॉ./प्रति किलोग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	5306 10 या 5306 20	70 ली काउंट से कम (या 42 एनएम से कम) वाले फ्लैक्स यार्न	चीन जनवादी गणराज्य	झेजियांग किंगडम लाइनेन कं.लि. /जिआंगशू जिंगयुआन फ्लैक्स कं.लि./ झेझिंआग जियुआन फ्लैक्स कं.लि.	जिआंगशू जिंगयुआन फ्लैक्स कं.लि. /झेझिंआग जियुआन फ्लैक्स कं.लि.	2.42
2.			चीन जनवादी गणराज्य	यिक्शिंग सनसाइन लाइनेन टेक्सटाईल कं.लि.	यिक्शिंग सनसाइन लाइनेन टेक्सटाईल कं.लि.	2.29
3			चीन जनवादी गणराज्य	झेजिंआग एक्सिंआग फ्लैक्स टेक्सटाइल कं. लि.	हूझू एक्सिंआग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कं.लि.	2.77
4.			चीन जनवादी गणराज्य	झेजिंआग गोल्डेन ईगल कं.लि. / झेजिंआग गोल्डन ईगल यिली लाइनेन टेक्सटाइल कं.लि.	झेजिंआग गोल्डेन ईगल कं.लि./ झेजिंआग गोल्डन ईगल स्पान सिल्क कं.लि.	2.02
5.			चीन	हांगझू सांगलू	हांगझू सांगलू	2.71

			जनवादी गणराज्य	सिल्क कं.लि.	सिल्क कं.लि.	
6.			चीन जनवादी गणराज्य	ग्रेट ईस्टर्न टेक्सटाइल (टोंगलिंग) कं.लि.	निंगबो विन वे ट्रेडिंग कं.लि.	1.30
7.			चीन जनवादी गणराज्य	चांगझू मेयुयान फ्लैक्स टेक्सटाइल कं.लि.	चांगझू मेयुयान फ्लैक्स टेक्सटाइल कं.लि.	2.06
8.			चीन जनवादी गणराज्य	तुंग गा लाइनेन एंड कॉटन (चांगझाऊ) कं.लि.	तुंग गा लाइनेन एंड कॉटन (चांगझाऊ) कं.लि.	0.50
9.			चीन जनवादी गणराज्य	क्रम संख्या 1 से 8 के उत्पादकों से भिन्न अन्य कोई	क्रम संख्या 1 से 8 के उत्पादकों से भिन्न अन्य कोई	4.83

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन 19 अक्तूबर, 2018 से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

(फाइल संख्या 354/380/2018-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार